न्यायालय मुंसिफ, डुमरॉव, बक्सर।

टी0 एस0– 61/18

21.10.2022

उभय पक्ष की हाजिरी दी गयी। वादी द्वारा दाखिल आदेश– 26 नियिम 10 धारा 151 सी.पी.सी. के अन्तर्गत सर्वे जानकार कमिश्नर नियुक्त करने का आवेदन दिनांक–27.09.2022 में वादी का कथन है कि प्रस्तुतद वाद रिमूभल औफ इन्क्रोचमेनट बाबत जमीमा नंबर 2 खिलाफ प्रतिवादी न्यायालय में दाखिल किया गया है। वादी द्वारा अर्जी के पारा नंबर 5 में प्रतिवादीगण द्वारा किए गए अतिक्रमण को दर्शाया है परन्तु इसके साइंटिफिक मेजरमेंट कानूनतः अभिलेख पर आना जरूरी है जिस बावत से मौजूदा मुकदमा में सर्वे जानकार कमिश्नर बहाली की आवश्यकता है।

प्रतिउत्तर दिनांक–11.10.2022 में प्रतिवादी का कथन है कि वादी का आवेदन कानूनतः मेंटेबुल नहीं है वादी द्वारा आवेदन में तथाकथित बातें बिल्कुल अस्पष्ट और भेग है। वादी का मुकदमा अभी प्री मैच्योर्ड है वो भी प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतु कोई कार्यवाही नहीं करते हैं जिस वजह से वादी का दाखिल आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है। प्रस्तुत मुकदमा का जब तक निष्पादन माननीय न्यायालय द्वारा होकर कोई अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है तब तक वर्तमान परिस्थिति में सर्वे जानकार अधिवक्ता नियुक्त करने का कोई आवश्यकता नहीं है। वादीगण विवादग्रस्त अर्जी के निस्वत बइजलास हाजा के अलावे अनुमण्डल दण्डाधिकारी के यहॉ भी लड़ाई लड़कर असफल हो गये हैं। अतः वादी का वाद खारिज करने योग्य है।

वादी के आवेदन तथा प्रतिवादी के प्रतिउत्तर पर उभय पक्षों के तर्कों को सुना एवं वाद के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मुकदमा में सभी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में सर्वे जानकार अधिवक्ता का नियुक्ति करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि सभी प्रतिवादियों के वाद में उपस्थित न होने के कारण उनके पक्ष न्यायालय के समक्ष नहीं आ सका है वादी ने उनकी उपस्थिति हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की है। अतः वादी द्वारा दाखिल दिनांक–27.09.2022 का आवेदन खारिज किया जाता है और वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह सभी प्रतिवादियों की उपस्थिति हेतु अग्रिम कार्यवाही करें।

वाद दिनांक–16.12.2022 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित
Sd/-
मुंसिफ, डुमरॉव